

21/12/23

फनावली पेश हुई। वकील उपाय
पर उपस्थित। प्रार्थना के प्रकरण
से सम्बन्धित मूलवाद अन्तिम रूप
से निरणीत हो चुका है। वादपत्र
के अभाव में प्रार्थना - पत्र टीआई
के चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र टीआई -
इसी स्तर पर अस्वीकार कर स्वरीज
किया जाता है। फनावली फैसल -
सुमार होकर मम्बर से कम हो।
दार्खिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
बालासोड जिला-दीना (राज.)

